

प्रेषक,

आर.मीनाक्षी सुन्दरम,

सचिव

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

डेरी विकास विभाग,

उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग-02

देहरादून: दिनांक 24 सितम्बर, 2019:

विषय- दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना (एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-649-50 नियोजन-प्रस्ताव दु0मू0प्रो0यो0पत्रा0/2019-20, दिनांक 20 सितम्बर, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में डेरी विकास विभाग के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) के सापेक्ष रू0 200.00 लाख की धनराशि (रू0 दो करोड़ मात्र) अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि की फॉट निदेशक, डेरी द्वारा करने के उपरान्त सम्बन्धित जिला स्तर के अधिकारियों, दुग्ध संघों एवं शासन को अवगत कराया जायेगा।
2. विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि दुग्ध उत्पादन हेतु प्रोत्साहन की धनराशि दुग्ध सहकारी समितियों के केवल अनुसूचित जाति के दुग्ध उत्पादकों को ही आवंटित करेगा तथा लाभान्वित की सूची समाज कल्याण विभाग को भी उपलब्ध कराये।
3. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय, साथ ही इस धनराशि का एक मुश्त आहरण न कर आवश्यकतानुसार आहरण किया जाय। द्वितीय किश्त को प्रथम किश्त के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्रावधानों एवं शासन के वर्तमान मितव्ययता संबंधी आदेशों के अन्तर्गत ही किया जाय।
5. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्हीं मदों पर किया जाय जिसके लिए धनराशि प्रदान की जा रही है। यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद से किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।

6. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक प्रतिमाह की 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0-08 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
  7. कोषागार में बीजक प्रस्तुत करने समय अनुदान संख्या एवं लेखाशीर्षक का सही रूप से अंकित करना सुनिश्चित करेंगे।
  8. धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
  9. अवमुक्त की जा रही धनराशि हेतु वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 29 मार्च, 2019 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपयोगिता प्रमाणक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति एवं लाभार्थियों की सूची सहित शासन एवं नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- 2- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2404-डेरी विकास-00-102-डेरी विकास परियोजनायें-02-अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान-04-दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना (एस0सी0एस0पी0)-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-254/3(150)/XXVII(1)/2018, दिनांक 29 मार्च, 2019 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर.मीनाक्षी सुन्दरम्)  
सचिव।

संख्या- 539 /XV-2/01(09)/2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार कार्यालय, 'महालेखाकार भवन', कौलागढ़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री, दुग्ध को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।
5. वित्त अनुभाग-4, /नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0एस0 पुन्डीर)  
उप सचिव।



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - (2019 - 2020)

Secretary-Secretary, Dairy  
Development(S007)

HOD-Director Dairy Development(2353)

आवंटन पत्र संख्या -539/XV-2/01(09)/2014  
अनुदान संख्या-030

आवंटन आई डी-S19090300030  
आवंटन पत्र दिनांक-24-SEP-2019

लेखा शीर्षक

2404-डेरी विकास  
102-डेरी विकास परियोजनाएं

00--

02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल  
कम्पोनेन्ट प्लान

04-दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य  
प्रोत्साहन

Voted

2	4	0	4	0	0	1	0	2	0	2	0	4
मानक मद का नाम		पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग							
20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता		0	20000000	0	20000000							
योग		0	20000000	0	20000000							

**Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.2,00,00,000 (Rupees Two Crores Only)**

Approval Status : APPROVED BY OFFICER